बारहमासी सड़क योजना
परिपत्र–5

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3630 /MGNREGS-MP/NR-4/2010 दिनांक 14/04/2010

प्रति,

1. संभागीय आयुक्त (समस्त)
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. जिला (समस्त)

विषय :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्र पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एवं बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अभिसरण से बनने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों हेतु वित्त एवं लेखा व्यवस्था संबंधी निर्देश।

———000———

वर्ष 2013 तक मध्यप्रदेश की समस्त बसाहटों को बारहमासी ग्रामीण सड़क मार्ग से जोड़ने की कार्ययोजना, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2998/एमजीएनआरजीएस–एमपी/एनआर–3/2010 दिनांक 27.03.2010 द्वारा जारी की गई है। योजना के संबंध में वित्त एवं लेखा व्यवस्था हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं।

1. संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

1.1 विभाग के परिपत्र क्रमांक–1 दिनांक 27.03.2010 के अनुसार राज्य मद से पोषित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से, केन्द्र पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (नरेगा) एवं बेकवर्ड रीजन ग्रांड फंड स्कीम (बी.आर.जी.एफ.) को अभिसरित करते हुए बारहमासी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना हैं।इस कार्य की क्रियान्वयन ऐजेंसी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रहेंगे। चूंकि कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पूर्व से आहरण संवितरण अधिकारी हैं अतः इस कार्य हेतु लेखांकन ऐजेंसी भी रहेगे। इसी परिप्रेक्ष्य में सड़कों की लंबाई ध्यान में रखते हुए कार्य सुविधा हेतु 500 कि.मी. से अधिक प्रस्तावित सड़क की लंबाई वाले राजगढ़, सतना, सिवनी, उमरिया, पन्ना, दमोह, बालाघाट, सागर, विदिशा, जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर जिलों में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का भी गठन किया गया है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आदेश क्रमांक 3314/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था/एनआर–2/एफ–522/2010 दिनांक 03.04.2010 द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.2 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पूर्व प्रचलित लेखांकन व्यवस्था एवं सीपीडब्ल्यूए कोड/यथा निर्दिष्ट शासकीय नियमों के अनुसार, इस योजना से संबंधित आहरण, व्यय, व्हाउचरिंग, लेखांकन तथा महालेखाकार को लेखाप्रेषण, सूचना प्रदाय, अभिलेखों के संधारण एवं सत्यापन हेतु उत्तरदायी रहेंगे। कार्यपालन यंत्री योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों को डिपाजिट कार्य की भांति संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।

1.3 बिन्दु 1.1 के अनुसार गठित 14 प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट को आहरण संवितरण के अधिकार स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगें। इन यूनिटों के क्षेत्राधिकार में हो रहे कार्य से संबंधित देयक आदि नियमानुसार परीक्षण एवं पारित करने के उपरांत पीएमयू द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को पृष्ठांकित किये जायेंगे। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 03 दिवस के अंदर इन प्राप्त देयकों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

1.4 सीपीडब्लूए कोड मे दिए गये प्रावधानों के अनुसार कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, द्वारा उनके जिलों में स्थापित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के प्रभारी शासकीय अधिकारी को इम्प्रेस्ट/अस्थाई अग्रिम प्रदाय किया जा सकेगा जिनका नियमानुसार समयावधि में समायोजन कर लिया जावेगा।

1.5 योजनांतर्गत तीन मदों से निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त राशि, वर्तमान मे प्रचलित विभागीय प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभाग के सिविल डिपोजिट मद मे जमा करायी जाएगी तथा कोषालय से जिला, जनपद तथा क्लस्टर क्र. को दर्शाते हुये निम्नानुसार वर्क आई डी प्राप्त की जावेगी। नरेगा में पूर्व से ही प्रचलित जिले के कोड एवं जनपद के कोड़ आईडी बनाने के लिए उपयोग किये जायेगे।

1. आई डी कोड – (जिले का कोड/जनपद का कोड/क्लस्टर क्र.) नरेगा/बीजीएसवाई।
2. आई डी कोड – (जिले का कोड/जनपद का कोड/क्लस्टर क्र) बीआरजीएफ/बीजीएसवाई।
3. आई डी कोड – (जिले का कोड/जनपद का कोड/क्लस्टर क्र.) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना/बीजीएसवाई।

1.6 योजनांतर्गत निर्माण कार्यो के अतिरिक्त, कंडिका 2.2 मे अंकित, अन्य प्रावधानों के निमित्त योजनाओं के प्रशासकीय व्यय मद से प्राप्त राशि, वर्तमान में प्रचलित विभागीय प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, निर्माण कार्यो के अनुरूप ही, विभाग के सिविल डिपोजिट मद मे जमा करायी जाएगी तथा कोषालय से निम्नानुसार आई डी प्राप्त की जावेगी।

1. आई डी कोड – जिले का कोड/नरेगा/बीजीएसवाई/प्रशासकीय व्यय मद।
2. आई डी कोड– जिले का कोड/बीआरजीएफ/बीजीएसवाई/प्रशासकीय व्यय मद।
3. आई डी कोड – जिले का कोड/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना/बीजीएसवाई/प्रशासकीय व्यय मद।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. राशि प्रवाह होने के स्त्रोत एवं मदें

2.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु तीन स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त होगी। स्त्रोतवार प्राप्त राशि का व्यय निम्नानुसार किया जायेगा।

2.1.1 **नरेगा मद** :— इस मद से प्राप्त राशि के विरूद्ध नरेगा योजना के प्रावधानों के अनुसार बारहमासी ग्रामीण सड़क निर्माण से संबंधित निम्नांकित कार्य संपादित किये जाएंगें :—

(क) मिट्टी, मुरम आदि खोदने तथा बिछाने का कार्य जॉबकार्डधारी अकुशल श्रमिकों द्वारा किया जाएगा। अर्थ वर्क एवं मिट्टी के शोल्डर से जुड़े सभी कार्य नरेगा के अंतर्गत किये जाएगें।

(ख) रोलिंग, वाटरिंग का कार्य रोलर, टैंकर एवं ग्रेडर से (योजनांतर्गत सामग्री के अनुपात की सीमा में)

(ग) योजनांतर्गत मजदूरी एवं सामग्री के 60:40 के अनुपात की सीमा में रहते हुए, आवश्यक होने पर उपयुक्त गुणवत्ता की मिट्टी एवं मुरम का एकत्रीकरण एवं परिवहन मय चढाई—उतराई।

नरेगा मद के उपर्युक्त कार्यों में श्रम के स्थान, पर मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। नरेगा के प्रावधान अनुरूप जॉबकार्डधारी मजदूरों का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। योजना अंतर्गत ठेकेदारी प्रथा से कार्य नहीं कराया जावेगा परंतु गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मशीनों के उपयोग होने पर नियमानुसार ठेका अनुमत्य रहेगा।

2.1.2 **बी.आर.जी.एफ.मद** :— इस मद में प्रदेश के 29 जिलों में पुल—पुलियों का कार्य स्वीकृत किया जाकर, योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, निविदा पद्धति से कराया जावेगा।

2.1.3 **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद (राज्य आयोजना मद)** :— इस मद से प्राप्त राशि के विरूद्ध बारहमासी सड़क निर्माण से संबंधित निम्नांकित कार्य किये जाएंगें :—

(क) प्रदेश के समस्त जिलों में अन्य योजनाओं के अंतर्गत मिट्टी से निर्मित इम्बेंकमेंट तथा सबग्रेड के ऊपर बेसकोर्स एवं सर्फेस कोर्स का संपूर्ण कार्य निविदा पद्धति से चयनित एजेंसी के द्वारा कराया जायेगा। इस कार्य हेतु एजेंसी आवश्यकतानुसार मशीनों का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(ख) इस मद में प्रदेश के 21 गैर बीआरजीएफ जिलों में पुल—पुलियों का कार्य स्वीकृत किया जाकर, योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, निविदा पद्धति से कार्य कराया जावेगा।

(ग) उपयुक्त गुणवत्ता की मिट्टी का परिवहन आवश्यक होने पर, (नरेगा योजना में मजदूरी एवं सामग्री के 60:40 के अनुपात की सीमा से अधिक)।

(घ) सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाले गौण खनिज, (मुरम तथा कड़ी मिट्टी आदि खनिज सामग्री) पर लगने वाली रायल्टी का भुगतान खनिज साधन विभाग के नियम निर्देशो के अंतर्गत, क्रि[illegible] द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मद से नियमानुसार

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.2 योजना के सफल संचालन हेतु विभिन्न प्रशासनिक मदों में आवश्यकता, औचित्य, सुविचारण, मितव्ययता एवं विश्लेषण के उपरांत निम्नानुसार व्यय किया जा सकेगा। प्रशासनिक व्यय के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसका वर्गीकरण निम्नानुसार होगा : –

2.2.1. **नरेगा के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद पर भारित गतिविधियां** : – इस मद में सूचना– शिक्षा– संचार, प्रशिक्षण, एमआईएस, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला संचालन, आवश्यक अतिरिक्त अमले के वेतन भत्तों की व्यवस्था तथा कार्यालयीन व्यय किये जा सकेंगे।

2.2.2 **बी.आर.जी.एफ. योजना के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद पर भारित गतिविधियां** :– इस मद में बी.आर.जी.एफ. जिलों में निविदा अभिलेखों की शर्तों को पूरा करने संबंधी विधिक व्यय, कार्य के अनुपात में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था तथा कार्यालयीन व्यय किये जा सकेंगे।

2.2.3 **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रशासनिक व्यय मद पर भारित गतिविधियां** इस मद में निर्माण कार्यो के 2 प्रतिशत सीमा के अंदर, निविदा शर्तों को पूरा करने संबंधी विधिक व्यय एवं विद्युत/टेलीफोन के पोल प्रतिस्थापित करने आदि के व्यय किये जा सकेंगे।

3. **राशि प्रवाह व्यवस्था** :–

3.1 निर्माण मद व्यवस्था :–

1 नरेगा एवं बी.आर.जी.एफ. निर्माण कार्य मद के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर, राशि, चेक के माध्यम से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार उक्त चेक को चालान के माध्यम से विभाग के रेमिटेन्स हेड में बैंक में जमा करायेगे, तथा चालान की प्रति कोषालय में प्रस्तुत कर नियमानुसार योजना/कार्य की आईडी प्राप्त करेगे।

2 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्माण कार्य मद के अंतर्गत, विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा राज्य आयोजना मद से राशि बजट के माध्यम से, सीधे कार्यपालन यंत्री को प्रदाय की जावेगी, जिसे देयक एवं चालन के माध्यम से कोषालय में प्रस्तुत कर, बुक ट्रान्सफर के माध्यम से राशि, विभाग के सिविल डिपाजिट मद में जमा करायी जावेगी तथा योजना/कार्य की आईडी प्राप्त की जावेगी।

3.2 प्रशासनिक व्यय मद व्यवस्था :–

1 नरेगा एवं बीआरजीएफ से संबंधित प्रशासकीय व्यय हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्री को राशि प्राप्त होने पर प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार उक्त चेक को चालान के माध्यम से विभाग के रेमिटेन्स हेड में बैंक में जमा करायेगे, तथा चालान की प्रति कोषालय में प्रस्तुत कर नियमानुसार योजना/कार्य की आईडी प्राप्त करेगे।

2 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित प्रशासकीय व्य
कार्यपालन यंत्री को विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा राज्

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

से राशि बजट के माध्यम से सीधे कार्यपालन यंत्री को प्रदाय की जावेगी, जिसे देयक एवं चालान के माध्यम से कोषालय में प्रस्तुत कर, बुक ट्रान्सफर के माध्य से राशि विभाग के सिविल डिपाजिट मद में जमा करायी जायेगी तथा योजना/कार्य की आईडी प्राप्त की जावेगी।

4. <u>मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के दायित्व</u> :–

4.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा नियमानुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित कार्यपालन यंत्री को राशि उपलब्ध कराई जाये।

4.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रदत्त राशि का, पूर्व परपंरा अनुसार कैशबुक एवं लेखांकन आदि का कार्य किया जायेगा तथा लेखे का नियमित समाशोधन किया जायेगा।

5. <u>क्रियान्वयन एजेंसी/लेखांकन ऐजेन्सी के दायित्व</u> :–

5.1 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जो कि इस कार्य हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के साथ लेखांकन यूनिट भी हैं, वे डिपाजिट कार्य की भांति प्राप्त राशियों को विभाग के सिविल डिपाजिट मद में जमा कर कोषालय के माध्यम से निर्धारित वर्क आईडी में संव्यवहार करेंगे एवं उसके लेखांकन हेतु उत्तरदायी रहेंगे।

5.2 कार्यपालन यंत्री, प्राप्त राशि को उनके कार्यालय में संधारित होने वाली कैशबुक में अंकित करेंगे एवं आवंटन तथा व्यय का हिसाब रखने हेतु आवश्यक प्रत्येक मद के लिए पृथक–पृथक लेजर व कार्य पंजी संधारित करेंगे।

5.3 कार्यपालन यंत्री, सीपीडब्लूए कोड के अनुसार कार्यवार रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का धारण करेंगे, तथा पीएमयू में पदस्थ प्रोजेक्ट मैनेजर उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्त अभिलेख समानान्तर रूप से संधारित करेंगे।

5.4 (क) योजनावार एवं गतिविधियों की आवश्कतानुसार पृथक–पृथक माप पुस्तिका एवं लेबल बुक रखी जावेगी। सड़क निर्माण में नरेगा अंश से विभागीय रूप से किये जाने वाले प्रत्येक कार्य में जाब कार्डधारी श्रमिको की उपस्थिति के लिए मस्टररोल एवं कार्य की माप/प्रगति अंकित करने हेतु माप पुस्तिका एवं लेबल बुक रखी जायेगी। इसी प्रकार मुख्य मंत्री सड़क योजना मद के अंतर्गत बेस एवं सरफेस कोर्स के लेबल एवं माप अंकित करने हेतु पृथक से लेबल बुक एवं माप पुस्तिका रखी जावेगी। ठेकेदारी प्रथा से कराये जा रहे एक अनुबंध के तहत प्रत्येक सड़क में आने वाली पुल–पुलियों के लिए पृथक माप पुस्तिका रहेगी।

(ख) ठेकेदारी से एक अनुबंध के अंतर्गत संपादित ग्रेवल कार्य एवं पुल–पुलियों के कार्यो के भुगतान हेतु देयक तैयार करने के लिए एक बिल माप पुस्तिका रखी जावेगी।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(ग) योजनाओं के प्रशासकीय व्यय मद के अंतर्गत क्रय किये जाने वाली मापन योग्य सामग्रियों एवं सेवाओं (पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदि कार्य) के माप एवं भुगतान हेतु एक माप पुस्तिका रखी जावेगी।

5.5 तीनो योजनाओं के वर्गीकरण की सील बनाई जावेगी तथा प्रत्येक भुगतान के बिल/व्हाउचर पर योजना के वर्गीकरण की सील अनिवार्यतः लगाई जावेगी। योजना विशेष से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा की संबंधित योजना के संबंधित कार्य हेतु तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध है। प्रत्येक भुगतान के साथ ही साथ वर्क रजिस्टर में प्रविष्टि कर कार्यपालन यंत्री के हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

5.6 परिवहन कार्य का भुगतान नरेगा एवं मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना से किया जावेगा। परिवहन कार्य जिला ग्रामीण दर अनुसूची/जिले अंतर्गत निर्धारित दरों के आधार पर कराया जावेगा। नरेगा के 60:40 के अंतर्गत सामग्री अंश की सीमा तक भुगतान नरेगा से एवं शेष भुगतान मुख्य मंत्री सड़क योजना से किया जावेगा। इस प्रकार एक ही बिल/व्हाउचर पर उपरोक्तानुसार नरेगा में सामग्री के अनुपात की बाध्यता एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए व्यय को दो योजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है।

5.7 कार्य विभाग के नियमों, सी.पी.डब्लू.ए. कोड के प्रावधानों एवं यथा निर्दिष्ट शासकीय नियमों/निर्देशों के अनुसार, संबंधित कार्यपालन यंत्री संबंधित योजना के आहरण, व्यय एवं लेखांकन तथा महालेखाकार को लेखाप्रेषण हेतु उत्तरदायी रहेंगे। इसी के साथ समस्त प्रकार के अभिलेखों का नियमानुसार संधारण एवं उनका सत्यापन कार्यपालन यंत्री का उत्तरदायित्व रहेगा।

5.8 कार्यपालन यंत्री निर्माण कार्यो में कोई भी व्यय करने के पूर्व उससे संबंधित तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करवाकर कार्यालयीन अभिलेखों में उसकी प्रति सुनिश्चित करेंगे।

5.9 नरेगा मद से प्राप्त आवंटन एवं व्यय के लिए योजना के निर्देशानुसार एमआईएस किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य मद बीआरजीएफ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद से प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्ररूपों में संधारित करेंगे।

5.10 प्रशासकीय व्यय मद के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर आए अतिरिक्त अमले एवं संविदा नियुक्ति पर रखे गये अमले के वेतन भत्तों का भुगतान वेतन देयक तैयार कर बैंक में संधारित व्यक्तिगत खाते के माध्यम से किया जावेगा तथा प्रतिनियुक्ति के अमले के वेतन से नियमानुसार किये जाने वाले कटौत्रा शासकीय कोष में जमा कराये जावेंगे। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को देय नियोक्ता अंशदान कर्मचारी के अंशदान के साथ संबंधित कार्यालय में जमा किया जावेगा। वेतन भत्तों एवं कटौत्रों से संबंधित लेजर नियमानुसार कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में संधारित किये जावेगे।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6 **लेखा परीक्षण :–**

6.1 बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित लेखे प्रत्येक स्तर पर संवैधानिक ऑडिट– महालेखाकार ऑडिट के लिए सदैव उपलब्ध रहेगें इसके अतिरिक्त अन्य संस्थागत ऑडिट एजेंसियों द्वारा भी इनका ऑडिट किया जा सकेगा।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 3631 /MGNREGS-MP/NR-4/2010 दिनांक 14/04/2010

प्रतिलिपि :–

1. सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. निज सचिव माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार कार्यालय, भोपाल/ग्वालियर
7. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विध्यांचल भवन, भोपाल।
8. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल।
9. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन भोपाल।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
12. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
13. संयुक्त आयुक्त (बजट) विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
14. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल .....(समस्त)।
15. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग .....(समस्त)।
16. प्रोजेक्ट मेनेजर, प्रोजक्ट मेनेजमेन्ट यूनिट जिला .....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional